

तकनीकी बिड
डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
निविदा प्रपत्र

निविदा शुल्क—रु. 500/—

निविदा का नाम विश्वविद्यालय के खन्दारी परिसर की कैण्टीन।
आपूर्तिकर्ता/फर्म का नाम
दूरभाष नम्बर
पार्टनरशिप/प्रोपराइटरशिप
पत्र व्यवहार का पता
अर्नेस्टमनी रुपये 6,000/— मात्र (रुपये छः हजार मात्र)
बैंक ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. नं०
दिनांक बैंक का नाम
निविदा प्रपत्र वेबसाइट से डाउनलोड की तिथि 22 जनवरी, 2019 प्रातः 11:00 बजे
निविदा प्रपत्र की हार्डकॉपी स्वीकार की अंतिम तिथि 08 फरवरी, 2019 अपरान्ह 03:00 बजे
निविदा खुलने की तिथि व समय— 11 फरवरी, 2019 अपरान्ह 03:00 बजे
निविदा का विवरण मैं/हम
फर्म का नाम
प्रोपराइटर/पार्टनर
निविदा के साथ संलग्न लिस्ट पर दी गई दरों पर कार्य करने को सहमत हूँ।
.....
(हस्ताक्षर निविदादाता)
पता
टेलीफोन/मोबाइल नं०
व्यापार कर रजिस्ट्रेशन सं० दिनांक
आयकर पैन नम्बर

नोट—

वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ टेण्डर अभिलेख निर्धारित तिथि व समय तक निविदा मूल्य रूपये 500/— के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक एवं धरोहर राशि के एफ.डी.आर. के साथ जो "वित्त अधिकारी, डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा" के पक्ष में देय हो, के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।

डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

घोषणा-पत्र

निविदा सम्बन्धी समस्त नियम व शर्तों के अन्तर्गत मैं श्री
पार्टनर/प्रोपराइटर निवासी फर्म का नाम
..... विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय के खन्दारी परिसर की कैण्टीन के लिए अपनी निविदा
की दरें संलग्न कर रहा हूँ । अर्नेस्टमनी का एफ.डी.आर. संख्या दिनांक
रूपये बैंक का नाम जो वित्त अधिकारी
डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के नाम बन्धक है इस निविदा के साथ संलग्न कर रहा हूँ मैंने
निविदा सम्बन्धी नियम व शर्तें भली भाँति पढ़ लिया है तथा मुझे निविदा की सभी शर्तें मान्य हैं। यदि मैं
निर्धारित समय के अन्दर ठेके की कार्यवाही नियमानुसार यथा जमानत राशि, इकरारनामा आदि पूर्ण करने में
असफल रहूँ तो मेरे बयाने की राशि जब्त कर ली जाय। इन नियमों एवं शर्तों का मैं पूर्ण रूपेण परिपालन
करूँगा तथा उसके विरुद्ध मैं किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही करने का अधिकारी नहीं रहूँगा।

एतद्वारा मैं घोषणा करता हूँ कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी शर्तें एवं नियम मुझे बिना किसी
आपत्ति के स्वेच्छा से स्वीकार हैं। सभी विवादों में कुलपति महोदय डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
द्वारा किये गये समस्त निर्णय मुझे मान्य होंगे।

गवाह—

हस्ताक्षर एवं पता

.....

हस्ताक्षर एवं पता

.....

दिनांक—

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम

.....

फर्म से सम्बन्ध

पूरा पता

मोबाइल नं०

नोट—

1. निविदा की तीन प्रतियाँ मिलेंगी ।

2. दो प्रतियाँ विश्वविद्यालय में (प्रथम पर मूल व द्वितीय पर डुप्लीकेट प्रति अंकित कर) निर्धारित दिनांक एवं
समय तक जमा होंगी ।

3. निविदा के साथ रूपये 100/- का नॉन जुडीशियन स्टाम्प पेपर संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

डाँ0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

वित्तीय विड

मैं/हम (प्रोपराइटर/पार्टनर) फर्म का नाम

फर्म का पता

निविदा रूपये (रूपये मात्र) पर प्रति वर्ष लेने को तैयार हूँ। कर देयता फर्म की होगी।

विश्वविद्यालय खन्दारी परिसर में आने वाले आगन्तुकों, स्टाफ व छात्रों की सुविधा के लिये फर्म द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली गुणवत्तायुक्त सामग्री की दरे निम्नानुसार प्रस्तावित की जा रही हैं –

क्र सं.	सामग्री	प्रति सामग्री का मानक	प्रस्तावित दर
1.	चाय	प्रति कप (125 एम.एल.)	
2.	काफी	प्रति कप (100 एम.एल.)	
3.	समोसा / कचौड़ी	प्रति पीस (100 ग्राम)	
4.	बेढई-सब्जी	दो पीस प्रति प्लेट	
5.	ब्रेड पकोड़ा	प्रति पीस (100 ग्राम)	
6.	आलू टिक्की	दो पीस प्रति प्लेट	
7.	कुलछे-छोले	दो पीस प्रति प्लेट (250 ग्राम)	
8.	छोला भटूरा	दो पीस प्रति प्लेट (375 ग्राम)	
9.	राजमा / छोला-चावल	प्रति प्लेट (375 ग्राम)	
10.	पूड़ी आलू	6 पीस प्रति प्लेट (375 ग्राम)	
11.	आलू पेटीज	प्रति पीस (200 ग्राम)	
12.	चाउमीन	प्रति प्लेट (250 ग्राम)	
13.	गुलाब जामुन	दो पीस प्रति प्लेट (150 ग्राम)	
14.	रसगुल्ला	दो पीस प्रति प्लेट (150 ग्राम)	
15.	बेसन लड्डू	दो पीस प्रति प्लेट (50 ग्राम)	
16.	लस्सी	प्रति ग्लास (200 एम.एल.)	
17.	ब्रेड-मक्खन	दो ब्रेड 25 ग्राम अमूल मक्खन सहित	
18.	थाली / प्लेट खाना	4 पूड़ी / चपाती, चावल, दाल, सब्जी, रायता, सलाद (375 ग्राम)	
19.	फल चाट	प्रति प्लेट (150 ग्राम)	
20.	मूल्यांकन कार्य हेतु	सुबह चाय-नाश्ता (ब्रेड पकोड़ा / पकोड़ी आदि) / दोपहर खाना / शाम चाय-बिस्कुट सहित अन्य	
21.	लन्च / डिनर	(रोटी, सब्जी, दाल, चावल, रायता, सलाद, अचार, मीठाई)	
22.	हाई टी	(चाय, कॉफी, पकोड़ी, समोसा, हलवा / अन्य मिठाई, सैंडविच.)	

ब्रान्डेड सील बन्द खाद्य सामग्री जैसे जूस, नमकीन, बिस्कुट, कोल्ड ड्रिंक्स, पानी बोतल इत्यादि छपी दर से अधिक पर आपूर्ती नहीं जायेगा।

दिनांक-

(हस्ताक्षर निविदादाता)
फर्म की मोहर

डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

निविदा सम्बन्धी नियम एवं शर्तें

1. कैंपटीन में खाद्य सामान स्वीकृत दर सूची के अनुसार चार्ज किया जायेगा व दर सूची उचित स्थान पर लगाना अनिवार्य होगा ।
2. निर्धारित दर से अधिक वसूली की शिकायत मिलने और जाँच के उपरान्त सही पाये जाने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा तथा सिक्क्योरिटी व अर्नेस्टमनी जब्त कर ली जायेगी। फर्म द्वारा विद्युत व जल उपयोग का चार्ज विश्वविद्यालय अभियन्ता से सम्पर्क कर नियमित रूप से मासिक जमा कराना अनिवार्य होगा, चार्ज की जानकारी विश्वविद्यालय अभियन्ता द्वारा प्रदान की जायेगी । ए.सी. व अधिक भार के विद्युत उपकरण का प्रयोग प्रतिबन्धित होगा । विद्युत उपयाग का मीटर विश्वविद्यालय के अभियन्ता से सम्पर्क कर लगवाया जाना अनिवार्य होगा । कैफेटेरिया में फर्नीचर आदि व्यवस्था फर्म की होगी जिसे स्वयं के व्यय पर वहन करना होगा । कैफेटेरिया भवन की किसी भी प्रकार की क्षति (टूट-फूट) होती है तो सम्पूर्ण उत्तरदायित्व फर्म का ही होगा । क्षति की प्रतिपूर्ति फर्म को करनी होगी । विश्वविद्यालय परिसर में ठेकेदार अथवा उसका कोई भी कर्मचारी रात्रि में प्रवास नहीं करेगा ।
3. निर्धारित अर्नेस्टमनी की राशि वित्त अधिकारी डॉ० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा के नाम देय होगी। राष्ट्रीय बैंक की बैंक एफ.डी.आर. (अन्य किसी रूप में मान्य नहीं होगी) निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
4. यदि निविदा फर्म के नाम होगी तो फर्म का रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप ऐक्ट/कम्पनी ऐक्ट तथा व्यापार कर आयकर एवं कार्य के अनुभव का उल्लेख तथा समर्थन में अनुभव प्रमाण-पत्र व (केन्द्रीय व राज्य) वैट अधिनियम आदि तथा हस्ताक्षरकर्ता के नाम फर्म का मुख्तारनामा (पावर ऑफ अटॉर्नी) लगाना आवश्यक होगा। अनुभवी फर्म को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी । कैफेटेरिया संचालन में निर्धारित श्रमिक नियमों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा ।
5. जिस कार्य/आपूर्ति की दरें दी जा रही हैं वे उत्तम क्वालिटी की होनी चाहिये अगर ठेकेदार/फर्म द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो अन्य श्रोतों से निविदा में वर्णित कार्य/आपूर्ति गुणवत्ता के आधार/स्रोतों पर करा लिया जायेगा। कुलपति या उनके प्रतिनिधि का फ़ैसला निविदादाता को मान्य हागा और उस फ़ैसले के विरुद्ध निविदादाता को किसी प्रकार की कार्यवाही करने का अधिकार नहीं होगा।
6. निविदा की स्वीकृति पर कुलपति जी का फ़ैसला अन्तिम होगा। निविदा देने वाले व्यक्ति को आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
7. राज्य/केन्द्र सरकार के द्वारा पारित खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार खाद्य सामग्री की सप्लाई के नियम व शर्तें ।
8. बजट की धनराशि को बढ़ाने एवं घटाने इत्यादि हेतु विश्वविद्यालय का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा।
9. अगर निविदादाता निविदा स्वीकृति होने के बाद ठेका छोड़ देता है तो उसकी जमानत की धनराशि जब्त कर विश्वविद्यालय कोष में जमा करा दी जायेगी। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय को घटित क्षति के लिये उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जा सकेगी।
10. फर्म/ठेकेदार के नाम से जो ठेका स्वीकृति किया जायेगा वह किसी भी दशा में अन्य फर्म/ठेकेदार को स्थानान्तरित नहीं करेगा। यदि फर्म/ठेकेदार ऐसा करते है तो उनका ठेका निरस्त समझा जायेगा तथा उनकी जमानत राशि को जब्त करके विश्वविद्यालय काष में जमा करा दिया जायेगा।
11. निविदा की स्वीकृत दरें तब तक वैध मानी जायेगी जब तक अगली निविदा स्वीकृति नहीं हो जाती, तब तक उन्हीं दरों पर कार्य/आपूर्ति कराया जा सकता है। इस पर निविदादाता फर्म को कोई एतराज नहीं होगा।
12. इस निविदा के माध्यम से स्वीकृत दरें सामान्य परिस्थिति में एक वर्ष के लिए मान्य होंगी। किन्तु विशेष परिस्थितियों में यदि अगली निविदा की दरें एक वर्ष पूर्ण होने तक स्वीकृत नहीं हो पाती हैं तो प्रस्तावित ठेके में 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि करते हुए आगे भी कार्य करना होगा। जिसकी धनराशि विश्वविद्यालय के मुख्य खाते में जमा कराना होगा । किन्तु दोनों पक्षों को यह स्वतन्त्रता होगी कि वे कम से कम तीन माह की नोटिस देकर अपने को इन शर्तों से अलग कर सकते हैं ।
13. फर्म/ठेकेदार दर पर उद्धृत करने वाली अथवा अन्य फर्म/ठेकेदारों से न्यूनतम दर प्रस्तावित करने वाली फर्म/ठेकेदार के पास यदि कार्य का अनुभव नहीं है, अथवा उसका प्रस्ताव स्पष्ट नहीं है, अथवा उसके द्वारा प्रस्तावित सामग्री का गुणवत्तायुक्त नहीं है, तो द्वितीय फर्म/ठेकेदार को न्यूनतम वार्तानुसार ठेका देने के लिये विश्वविद्यालय स्वतन्त्र होगा।
14. अगर निविदादाता निविदा स्वीकृति हो जाने के उपरान्त निविदा संबंधी कार्यवाही जैसे सिक्क्योरिटी धनराशि, अनुबन्ध आदि की कार्यवाही निर्धारित समय के अन्दर पूर्ण नहीं करता है तो उसकी निविदा को निरस्त मानते हुए अर्नेस्टमनी की धनराशि को अर्नेस्ट जब्त कर लिया जायेगा। निर्धारित समय एवं दिनांक के बाद प्राप्त होने वाली निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा चाहे विलम्ब पोस्ट आफिस/कोरियर की गलती के कारण हुआ हो।

15. (क) निविदा प्रपत्र तीन प्रतियों में उपलब्ध है जिसमें से 2 प्रतियों में भरकर पृथक-पृथक लिफाफों में जमा करना होगा। जिस लिफाफे में तकनीकी विड एवं वित्तीय विड रखे जायेंगे उस लिफाफे पर क्रमशः "मूल प्रति" तथा दूसरे लिफाफे पर "डुप्लीकेट प्रति" अंकित किया जाय। निविदा प्रपत्र की एक प्रति निविदादाता की व्यक्तिगत पति होगी।
(ख) तकनीकी विड एवं वित्तीय विड अलग-अलग लिफाफों में सील कर दोनो को एक बड़े लिफाफे में रख कर सील करने के उपरान्त ही स्वीकार किया जायेगा।
(ग) तकनीकी बिड वाले लिफाफे में केवल कार्य के अनुभव प्रमाण-पत्र, अर्नेस्टमनी की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट एवं क्रमांक 2 के अनुसार रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, पावर आफ एटार्नी आदि तथा सैम्पल होंगे उस पर "तकनीकी विड" अवश्य लिखा जाये।
(घ) जिस लिफाफे में सामग्री की दरें प्रस्तावित होंगी उस पर वित्तीय बिड लिखा जाय।
16. स्पेसीफिकेशन एवं गुणवत्ता वांछित स्तर की होनी आवश्यक है। कार्य की गुणवत्तायुक्त सामग्री के लिये दरें माँगी जा रही हैं। कम गुणवत्ता की सामग्री की आपूर्ति किये जाने की स्थिति में उसे अस्वीकार कर दिया जायेगा जिसे फर्म को स्वयं के खर्च पर वापस ले जाना होगा तथा फर्म को इस सामग्री के लिए कोई भुगतान नहीं दिया जायेगा।
17. कुलपति जी को यह अधिकार होगा कि वह एक या समस्त निविदा को वगैर कोई कारण बताए निरस्त/स्वीकृत कर सकते हैं ऐसी स्थिति में फर्म/ठेकेदारों को किसी भी प्रकार की आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा।
18. दोनों पक्षों में कोई विवाद होने पर कुलपति जी ही आरबिट्रेटर होंगे जिनका निर्णय अन्तिम होगा तथा दोनों पक्षों को मान्य होगा।
19. निविदादाता/फर्म को निविदा देने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके पास सम्बन्धित प्रकार का कार्य करने संबंधी उपकरण/मशीनरी आदि एवं यूनिट एक ही स्थान पर हो। उपकरण/मशीनरी आदि एवं यूनिट का निरीक्षण विश्वविद्यालय के इस कार्य के लिये प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किसी भी समय किया जा सकेगा।
20. निविदादाता/फर्म को स्टाम्प अधिनियम तथा इसके सापेक्ष समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अन्तर्गत नियमानुसार स्टाम्प शुल्क अदा करना होगा।
21. समयबद्ध रूप से कार्य संपादित न करने अथवा असंतोषजनक/गुणवत्ता युक्त कार्य/आपूर्ति करने पर विश्वविद्यालय को किसी रूप में पैनल्टी लगाने का पूर्ण अधिकार होगा।
22. न्यायिक क्षेत्राधिकार आगरा ही होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता

पत्र व्यवहार का स्पष्ट पूरा पता

.....
मोबाइल नं०

मोहर